झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वाकर/कम्प्यु/02/2013– 6081 / राँची, दिनांक– 11/12/13

प्रेषक,

एम0 आर0 मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन घोषणा पत्र **SUGAM B (JVAT 504B)** की योजना सभी व्यवसायियों के लिए अनिवार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः– परिपत्र संख्या 2938 दिनांक 06.06.2013 एवं 2808 दिनांक 30.05.2013 तथा संबंधित सूचनाएं दिनांक 28.05.2013 एवं 06.06.2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र 2938 दिनांक 06.06.2013 द्वारा ऑनलाईन घोषणा पत्र **SUGAM B (JVAT 504B)** की योजना से 200 करोड़ रूपये से अधिक कर–देय सकल आवर्त के व्यवसायीक प्रष्ठिानों को विमुक्त किया गया था। दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से ऑनलाईन **SUGAM B** का निर्गमन सभी व्यवसायियों के लिए अनिवार्य किया जाता है।

प्रासंगिक परिपत्र संख्या 2808 दिनांक 30.05.2013 एवं प्रासंगिक सूचना (छायाप्रति संलग्न) द्वारा **SUGAM B** की वैधता निर्गमन की अवधि एक दिन निर्धारित की गयी थी जिसे अगले आदेश तक विलंबित किया गया था। सामान्य परिस्थिति में **SUGAM B** की वैधता तीन दिनों (72 घंटे) की निर्धारित की जाती है। वाहन के क्षतिग्रस्त होने या अन्य परिस्थिति में वाहन के बदलने के कारण (Transhipment) होने की स्थिति में **SUGAM B** की वैधता पाँच दिनों की होगी।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

10.12.13

(एम0आर0मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।